<u>दिनॉक 10.06.2026,</u>

01. पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई।

02. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

03. आवेदक की ओर से आदेशपत्र व प्रार्थनापत्र कागज संख्या 3.ए '' जमानत निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 (3) बी.एन.एस.एस'' पर, उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय का पृष्ठाकंन किया गया है कि वे प्रार्थनापत्र पर बल देना नहीं चाहते हैं। अतः बल नहीं दिये जाने के कारण, यह फौजदारी विविध वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दफतर दाखिल हों।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
आई0डी0 कमांक–यू0पी0–2015

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.10 17:41:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court